राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत खीमाखेडा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— ग्राम पंचायत खीमाखेडा

प्रकरण सं. — 109/2010 रे0वा0 निर्णय दिनांक— 26 जून,2015

अनवान

1. श्री नारायणसिह पिता नंगासिंह रावत निवासी खीमाखेडा छापली तहसील भीम
2. श्रीमति खीमी पत्नि नंगासिंह रावत निवासी खीमाखेडा छापली तहसील भीम

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीए

यह कि मौजा खीमाखेडा में निम्न विवरण की आराजियात स्थित होकर पीढियो से वादीगण के खाते एवं कब्जे चली आ रही है आज भी वादीगण की फसल खडी है:—

(अ)

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
8231	00	04	10	गेमुचाह
8233	00	14	00	चाही 1
8234	00	08	00	जाव 1
8235	00	10	00	जाव 1 चाही 1
8442	00	09	00	बारानी 2
8566	00	09	00	बारानी 1
8578	00	04	10	चाही 1
8579	00	08	10	चाही 1
कुल किता 08 रकबा 03 बीघा 07 विस्वा 10 विस्वांसी				

(ब)

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
8165	00	04	10	जाव 1
8168	00	11	00	जाव 1
8232	00	08	00	चाही 2
8236	00	12	00	चाही 1
8564	00	10	00	बारानी 1
8565	00	10	00	बंझड
कुल किता 6 रकबा 02 बीघा 15 विस्वा 10 विस्वांसी				

यह कि वादीगणो का सजरा निम्नानुसार पेश है:—

डुंगरसिंह
↓
करणसिंह — नंगासिंह

करणसिंह → गंगा पत्नि लाऔलाद फौत

नंगासिंह → नारायणसिंह—पुत्र, खीमी—पत्नि

यह कि माफिक सजरा उक्त भूमि वादी संख्या 1 के दादा एवं वादी संख्या 2 के ससुर डुंगरसिंह के खाते एव कब्जे की थी जो फौत हो गये जिनके दो पुत्र करणसिंह एवं नंगासिंह थे तथा 1/2 भूमि करणसिंह व 1/2 नंगासिंह के खाते व कब्जे मे आई करणसिंह के फौत होने के बाद उसकी पत्नि गंगा के खाते कब्जे आई जो भी 5 वर्ष पूर्व फौत हो गई निसन्तान तथा वादीगण वारिस हो काबिज चले आ रहे है तथा नंगासिंह फौत हो गये सन 2005 मे तथा अब वादग्रस्त भूमि के वादीगण ही मालिक काबिज हो खातेदार हो गये है।

उक्त भूमि वादी के दादा व ससुर डुंगरसिंह की होकर वादीगण की काबिज हो हकदार है मौके पर खेती करते कराते आ रहे है व वही उसके खातेदार हो गये है खाते मे 1/2 गंगा के व 1/2 वादी के पिता नंगासिंह के खाते चली आ रही है जिन्हे फौत हुए काफी अर्सा हो गया है उक्त नाम हटवा वादीगणो के खाते दर्ज किया जावे ताकि उनक हक हकूक को नुकसान न हो तथा उन्नत व विकसित करने मे परेशानी न हो।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय मे लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प खीमाखेडा** मे पेश हुआ। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 मे एवं उक्त वर्णित आराजियात के मौके पर काबिज सम्पूर्ण हिस्सेदारो को बटवारा किया जाकर हिस्से अनुसार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर हिस्सेअनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द